न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0
74 / 2025

तारीख दायरा
09.06.2025

तारीख फैसला
10.10.2025

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

हरजीलाल आत्मज पांचुलाल उम्र 50 वर्ष जाति बैरवा निवासी हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खातें में खाता संख्या 71 नया 44 पुराना की खसरा नं0 20 रकबा 2.04 है0 खसरा नं0 274 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 415 रकबा 0.15 है0 खसरा नं0 439 रकबा 0.67 कुल किता 4 रकबा 3.00 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमि में वादी का नाम हरजीलाल पुत्र पांच्या दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम हरजीलाल पुत्र पांचुलाल है। जिससे वादी को सरकार योजनाओं में किसान केडिट कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि वादी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी आदि में वादी का नाम ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव के खाता सं0 13 की आराजी में वादी का सही नाम हरजीलाल ही दर्ज है जबकि ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव की खाता सं0 71 की जमाबन्दी में हरजीलाल के स्थान पर हजारीलाल पुत्र पांच्या दर्ज होने से सरकारी योजनाओं के लाभ व भूमि सुधार के लिए किसान केडिट कार्ड से वन्चित हो रहा है। वादी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

लिखवान को कानूनन अधिकार है। इसलिये वादी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 22.05.2025 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया । जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खातें में खाता संख्या 71 नया 44 पुराना की खसरा नं0 20 रकबा 2.04 है0 खसरा नं0 274 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 415 रकबा 0.15 है0 खसरा नं0 439 रकबा 0.67 कुल किता 4 रकबा 3.00 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हजारीलाल पुत्र पांच्या के स्थान पर हरजीलाल पुत्र पांचुलाल दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी का नाम हजारीलाल पुत्र पांच्या के स्थान पर हरजीलाल पुत्र पांचुलाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खातें में खाता संख्या 71 नया 44 पुराना की खसरा नं0 20 रकबा 2.04 है0 खसरा नं0 274 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 415 रकबा 0.15 है0 खसरा नं0 439 रकबा 0.67 कुल किता 4 रकबा 3.00 है0 भूमि में वादी का नाम हजारीलाल पुत्र पांच्या के स्थान पर हरजीलाल पुत्र पांचुलाल किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिकी जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

डिक्री मुकदमा

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

हरजीलाल आत्मज पांचुलाल उम्र 50 वर्ष जाति बैरवा निवासी हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खातें में खाता संख्या 71 नया 44 पुराना की खसरा नं0 20 रकबा 2.04 है0 खसरा नं0 274 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 415 रकबा 0.15 है0 खसरा नं0 439 रकबा 0.67 कुल किता 4 रकबा 3.00 है0 भूमि में वादी का नाम हजारीलाल पुत्र पांच्या के स्थान पर हरजीलाल पुत्र पांचुलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)